

दिनांक 30-9-91

सेवा में:-

प्रबंधक,  
आर्य समाज बैंक,  
पटना।


(कारण: कोषपाल)

महोदय,

संदर्भ: नि.वि. पटना 1261 / मु.दा 12 / 91-92  
दिनांक 5-9-91.

उपरोक्त संदर्भ में निवेदन है कि मैं इसी निदेश तथा मनोयोग-पूर्वक अपना कार्य निपटया करता हूँ। दिनांक 18-2-91 को गवर्नी अनुशासन 'जी' (जिसमें मैं कार्यरत था) में परीक्षण के लिए भेजा गया था। स्थिति सामान्य दिनों की अपेक्षा कुछ अधिक ही खराब थी। वे जेठे तथा निपटने वाले थे, जिसके कारण उस प्रकार की गलती हो गई। ऐसे में अपने कार्य में कभी लापरवाही नहीं दर्शाता हूँ।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आग्रह है कि मेरे एपेलेशन पर सहायक निदेशक निष्कार काले डे मेरे विरुद्ध कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई आरंभ न की जाए। एतदर्थ आभारी रहूँगा।



गवर्नी  
देवेन्द्र प्र. सिपाही  
(देवेन्द्र प्रसाद सिपाही)  
नि. सं. देवी 11

तार : "रिजर्विस्ट"  
TELEGRAMS : "RESERVIST"

भारतीय रिजर्व बैंक

पोस्ट बग न० 162  
POST BAG No. 162

पटना—800 001

RESERVE BANK OF INDIA

PATNA—800 001

Manager's section

कृपया प्रतिक्रिया में उद्धृत करें  
Please quote in reply :—

संदर्भ सं० : Ref. No. MGR/3757 /22(2)-91/92 14th February, 1992  
22nd Magha, 1913

टेलिफोन पी. बी. एक्स. नं० 55851, 55908  
Telephone PBX No. 55765, 55712  
55513, 55569  
55612, 55663  
55816, 55958  
(शक) (Saka)

Shri Devendra Prasad Tiwary  
Common Cadre Grade II  
Cash Department  
Reserve Bank of India  
PATNA.

(Through; the Cy. Officer, <sup>Issue</sup> Department, RBI, Patna)

Dear Sir,

Charge-sheet

You are informed that the charges as set out in para 3 herein have been framed against you under the circumstances mentioned in para 2 below.

2. In course of verification on 2nd April 1991 of cancelled notes, three pieces of Rs. 5/- notes were found excess in a packet of Rs. 5/- denomination bearing Seal No. P-NS dated 18th February 1991 examined by you. Apparently, you performed your duties in a perfunctory manner.


3. You are, therefore, charged with :

- 1) having displayed negligence in the discharge of your duties in the Bank; and
- 1i) having acted in a manner detrimental to the interests of the Bank.

4. This charge-sheet is accordingly being issued to you under Regulation 47 of the Reserve Bank of India (Staff) Regulations, 1948.

5. You are called upon to answer the above charges in writing, or in person, in which case your defence will be taken down in writing and read out to you. Any defence which you may wish to proffer including a list of witnesses, you may wish to produce, should be submitted alongwith your reply to the charges to Manager's (Disc.) Section on or before 20th February, 1992.

Yours faithfully,

  
(J.R. GUHA)  
MANAGER

Pre lunch:

18.2.91

Table No. T  
Seat - P-NS

A 21 - A 5/2  
14 16

Gr. I - 5000000

- Gr. II - 1 अक्षर युक्त शब्द
- 2 " 2 अक्षर युक्त शब्द
- 3 " 3 अक्षर युक्त शब्द
- 4 " 4 अक्षर युक्त शब्द
- 5 " 5 अक्षर युक्त शब्द
- 6 " 6 अक्षर युक्त शब्द
- 7 " 7 अक्षर युक्त शब्द

(3x5 sheet detached)

was Bank

Party started at (Pre lunch) - 11.35 AM  
ends at - 12.00 AM

RESERVE BANK OF INDIA

REMARKS - 00000

(ISSUE DEPARTMENT MANUAL)

CHAPTER III

Para 72 . . . . . Immediately on receipt of the notes from the Group Supervisor the note examiner will count and verify the number of pieces in each packet. He will thereafter open the packets one by one, examine the notes individually in the manner stated in paragraph 25 of this chapter and sort them into issuable and non-issuable which will be made ~~ix~~ into separate packets and labelled in the prescribed manner vide paragraph 32 *ibid* . . . . .  
. . . . . The note examiner will thereafter receive for recounting the notes examined by any other member of the group which will be issued to him by the Group Supervisor. Any discrepancy detected during the course of recounting should be reported to the Group Supervisor.

18-2-92

Postmark 1.30 PM  
2.20 PM

Purchase Register

Table No. 2

1	1/2	मिडिलमिन्स एन्ड
2	"	मिडिलमिन्स एन्ड
3	"	मि. डी. एन्ड यन्स
4	"	एन्ड यन्स
5	"	एन्ड यन्स
6	"	एन्ड यन्स
7	"	एन्ड यन्स

Table No. 3

1	1/2	मिडिलमिन्स एन्ड
2	"	मिडिलमिन्स एन्ड
3	"	मिडिलमिन्स एन्ड
4	"	मिडिलमिन्स एन्ड
5	"	मिडिलमिन्स एन्ड
6	"	मिडिलमिन्स एन्ड
7	"	मिडिलमिन्स एन्ड

Register  
CD-54

CD 4(A)

- Indent Register  
 - Day book  
 - Vault Register  
 - showing condition of the notes.

18.2.91 - Fair.

Responsibility of recorder.

- Indent for notes from vault - CD 4(A)
- Daily Account of notes received for exam<sup>n</sup> - CD 54
- Notes sent to Dept
- Examiners' irregularities Register

20.2.1992

The Manager,  
Reserve Bank of India.  
Patna.  
(Through, the Treasurer)  
Dear Sir,

With reference to the Charge-sheet no. MGR/  
3757/22(2). 71/92 dated 11<sup>th</sup> February 1992 I have to  
submit that the notes given for examination on 18<sup>th</sup>  
February 1991 were excessively soiled and sticky as a  
result of which in spite of all care and diligence on  
my part the irregularity occurred. I neither discharged  
my duties negligently nor acted in a manner detrimental  
to the interests of the Bank.

In the light of these submissions the charges may  
kindly be dropped. If the charges are persisted with,  
defence, including list of witnesses etc will be submitted  
at the appropriate time in due course.

Yours faithfully,  
Devendra. Pd. Tiwari

[DEVENDRA P. TIWARI]

ccg. II, Sec E,  
Cash Dept.

RESERVE BANK OF INDIA

PATNA—800 001

प्रबंधक अनुभाग

टेलिफोन पी. बी. एक्स. नं० 55851, 55908  
Telephone PBX No. 55765, 55712  
55513, 55569  
55612, 55663  
55816, 55958

कृपया पत्रोत्तर में उद्धृत करें  
Please quote in reply :—

संदर्भ सं० : Ref. No. \_\_\_\_\_

9 मार्च 19 92  
19 फरवरी 19 92

(शक) (Saka)

कार्यालय आदेश संख्या: 276

3/13/92

श्री देवेन्द्र प्रसाद तिवारी, सामान्य संवर्ग श्रेणी II एवं श्री शिव पूजन सिंह, सिक्का-मुद्रा परीक्षा श्रेणी II को निर्गत दिनांक 11 फरवरी 1992 के आरोप पत्र संख्या एमजीआर/3757/22121-91/92 एवं एमजीआर/3756/22121-91/92 के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक (स्टाफ) विनियमावली 1948 के विनियम 47 के अंतर्गत पारिणामिक जांच और उचित संबंधित क्रियाविधि का कार्य अंतिम आदेशों को छोड़कर, उक्त विनियम के उप विनियम 131 के अनुसार शतद्वारा श्री ललित श्रीवास्तव, बैंकिंग अधिकारी, बैंकिंग परिचालन एवं विकास विभाग को तैयार किया जाता है।

2. श्री डी.पी. सिन्हा, सहायक कोषपाल, नकदी विभाग को उक्त मामले में दिनांक 21 फरवरी 1976 के प्रज्ञापन परिपत्र सं. 2 के अनुसार प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

ह/—

1. 30 को सिद्धांती ।

प्रबंधक

उक्त दिनांक का परांकन संख्या एमजीआर/4167/22121-91/92

प्रतिलिपि सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु निम्नलिखित को प्रेषित :

1. श्री ललित श्रीवास्तव, बैंकिंग अधिकारी, बैंकिंग परिचालन एवं विकास विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, पटना । जांच अधिकारी । को संयुक्त मुख्य अधिकारी, बैं. प. एवं वि. विभाग, भा. रि. बैंक, पटना के माध्यम से । उक्त आरोप पत्र को एक प्रति संलग्न है ।
2. श्री डी.पी. सिन्हा, सहायक कोषपाल, नकदी विभाग, भा. रि. बैंक, पटना । प्रस्तुतकर्ता अधिकारी । को कोषपाल, नकदी विभाग, भा. रि. बैंक, पटना के माध्यम से ।
3. ✓ सर्वश्री देवेन्द्र प्रसाद तिवारी, सामान्य संवर्ग श्रेणी II एवं श्री शिव पूजन सिंह, सिक्का-मुद्रा परीक्षा श्रेणी II, नकदी विभाग, भा. रि. बैंक, पटना को कोषपाल, नकदी विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, पटना के माध्यम से ।

1. एमओ एनओ सिंह ।

कार्यिक अधिकारी

अनु: यथोपरि

तार : "रिजर्विस्ट"  
TELEGRAMS : "RESERVIST"

भारतीय रिजर्व बैंक

पोस्ट बग न० 162  
POST BAG No. 162

पटना—800 001

RESERVE BANK OF INDIA

PATNA—800 001

प्रबंधक अनुभाग

टेलिफोन पी. बी. एक्स. नं० 55851, 55908

Telephone PBX No. 55765, 55712

55513, 55569

55612, 55663

55816, 55958

कृपया पत्रोत्तर में उद्धृत करें  
Please quote in reply :—

संदर्भ सं० : Ref. No. एमजीआर/5407/22121-  
91/92

29 मई 19 92  
8 जून 19 14

(शक) (Saka)

श्री देवेन्द्र प्रसाद तिवारी  
सामान्य संवर्ग श्रेणी II  
नकदी विभाग  
भारतीय रिजर्व बैंक  
पटना ।

द्वारा: कोषपाल, नकदी विभाग, भा. रिजर्व बैंक, पटना।

प्रिय महोदय,

इस कार्यालय के दिनांक 11 फरवरी 1992 के आरोप पत्र संख्या एमजीआर/ 3757 /22121-91/92 द्वारा आपके विरुद्ध लगाये गये आरोप के संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक स्टाफ विनियमावली, 1948 के विनियम 47 के अंतर्गत जांच का कार्य सौंपा गया है दिनांक 10 जून 1992 को पूर्वाह्न 11.00 बजे उप मुख्य अधिकारी, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग के कक्ष में जांच करेंगे। आप निर्धारित तिथि एवं समय पर जांच के समक्ष उपस्थित हों। यदि आप चाहें तो अपना बचाव स्वयं अथवा रिजर्व बैंक कर्मचारियों के किसी निबंधित ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि के माध्यम से कर सकते हैं। बाद-वाली स्थिति में आप प्रतिनिधि का नाम दिनांक 9 जून 1992 तक प्रस्तुत कर दें और उसके साथ संबंधित यूनियन से इस आशय का एक पत्र प्रस्तुत करें कि नामित व्यक्ति को आपके प्रतिनिधि के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है। आपको एक लिखित बयान भी देना चाहिए कि आप उस प्रतिनिधि को अपनी ओर से जांच में उपस्थित होने के लिये मनोनीत करते हैं तथा उन सभी बातों से आप बाध्य होंगे जो ये प्रतिनिधि कहेंगे, करेंगे एवं हस्ताक्षर करेंगे। साक्षियों की सूची, यदि कोई हो, एवं जिन्हें आप जांच में प्रस्तुत करना चाहें दिनांक 9 जून 1992 तक प्रस्तुत कर दें।

भव दी य

ललित श्रीवास्तव  
जांच अधिकारी



9.6.1992

प्रबंधक,

भारतीय रिजर्व बैंक,

परना

(बारा कोषपाल, नकदी विभाग)

महोदय,

आपके पत्र सं. एम.जी. आर./5407/92(2)-9/92

दिनांक 29 मई 1992 के संदर्भ में मैं अपने प्रतिनिधि के रूप में अधोलिखित व्यक्ति को मनोनीत करता हूँ। इस जांच में जो बातें पकड़ेंगे, करेंगे एवं हस्ताक्षर करेंगे उनसे मैं बाध्य रहूँगा। इस जांच के लिए रिजर्व बैंक वर्कर्स आर्गेनाइजेशन का प्रतिनिधित्व पत्र संलग्न है। साक्षियों की सूची आवश्यकता अनुसार, जांच के दौरान प्रस्तुत की जाएगी।

मनदीप,

देवेन्द्र प्र. तिवारी-

देवेन्द्र प्र. तिवारी

सा.सं. खेजी II

1. श्री अरुण कुमार कोषा
2. श्री मानिक कुमार सिंह

9/6/92

प्रतिनिधि

रिजर्व बैंक वर्कर्स आर्गेनाइजेशन, परना।



# रिजर्व बैंक वर्कर्स आर्गेनाइजेशन, पटना

## Reserve Bank Workers' Organisation, Patna

( AFFILIATED TO AIRBWO, NOBW & BMS )

Office : 6/22, 'R' Block, Patna-800 001

B. M. S.

Ref.....

Dated 9.6.1992

प्रबंधक,  
भारतीय रिजर्व बैंक,  
पटना

महोदय,

श्री देवेंद्र प्र. तिवारी, सा. सं. धुप्री II, जो रिजर्व बैंक वर्कर्स आर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं, के विरुद्ध पत्र सं. 3757/22(2)-9/92 दिनांक 11.2.1992 द्वारा लगाये गये आरोप के जांच में श्री तिवारी के अवरोध पर अद्यो लिखित व्यक्ति को उनके प्रतिनिधि के रूप में आर्गेनाइजेशन द्वारा प्रतिनिधुपत किया जाता है। जांच में भाग लेने के लिए उनके सामान्य कार्य से मुक्त किया जाए।

1. श्री अरुण कुमार शोभा
2. श्री आनन्द कुमार खिड़े

भवदीय,  
निदेशिका,  
महासचिव

1. देवेन्द्र प्रसाद तिवारी, सामान्य संवर्ग श्रेणी-11 के विरुद्ध आरोप-पत्र संख्या एमजीआर. 3757/22121-91-92 दिनांक 11.2.92 द्वारा लगाये गये आरोप के संबंध में दिनांक 10.6.92 को हुई जाँच की कार्यवाही.

समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न

स्थान- डीसीओ चेम्बर, डीबीओडी, भा. रि. बं.,  
पटना

श्री ललित श्रीवास्तव	-	जाँच अधिकारी	-	जाँ. अ.
" डी. पी. सिन्हा	-	प्रस्तुतकर्ता अधिकारी	-	प्र. अ.
" अरुण कुमार ओझा	-	बचाव प्रतिनिधि	-	ब. प्र.
" देवेन्द्र प्रसाद तिवारी	-	आरोपित कर्मचारी	-	आ. क.

...

जाँ. अ. - जाँच से संबंधित सभी लोग उपस्थित है अतः अब जाँच की कारवाई शुरू की जाती है ।

जाँ. अ.  
आ. क. से - सर्वप्रथम आप अपना परिचय दें ।  
आपका नाम क्या है ?

आ. क. - मेरा नाम देवेन्द्र प्रसाद तिवारी है ।

जाँ. अ. - आप बैंक में किस विभाग में काम करते हैं.

आ. क. - मैं बैंक के नकदी विभाग में काम करता हूँ.

जा. अ. - आप दिनांक 18.2.91 को किस विभाग में काम कर रहे थे ?

आ. क. - दिनांक 2.4.91 को अनुभाग "जी" में काम कर रहा था.

जाँ. अ. - आपको पत्र सं. एमजीआर. 3757/22121-91-92 दिनांक 11.2.92 के तहत एक चार्ज-शीट दी गयी थी क्या आपको मिली है ?

आ. क. - जी हाँ.

जाँ. अ. - अब मैं आपपर बैंक द्वारा लगाये गये आरोप को पढ़कर सुनाता हूँ.  
आरोप-पत्र को पढ़कर सुनाया गया ।  
क्या आप इसे स्वीकार करते हैं ?

आ. क. - जी नहीं.

ब. प्र.,  
जाँ. अ. से - ये सारे आरोप गलत एवं बेबुनियाद है ।

जाँ. अ.  
आ. क. से - आप अपने बचाव में यदि कोई साक्ष्य को कॉपी या गवाह लाना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक लिखित पत्र हों दें।

ब. प्र. - जैसा कि आरोपित कर्मचारी ने पहले ही बताया कि यह आरोप पत्र इनको स्वीकार नहीं है तो यह आरोप-पत्र सिद्ध करने की जिम्मेदारी बैंक के ऊपर है। आरोपित कर्मचारी ने आरोप-पत्र के उत्तर में भी यह कहा है कि यह आरोप इन्हें स्वीकार नहीं है । आरोप पूर्णतः निराधार है अतः बैंक को जिम्मेदार है कि इस आरोप को सिद्ध करें । अगर आवश्यकता पड़ी तो बचाव पक्ष की ओर से कोई अभिलेख, साक्ष्य अथवा गवाह जाँच के दौरान प्रस्तुत किया जायेगा ।

- जॉ.अ. - क्या आप इस संबंध में कुछ कहना चाहेंगे ।  
प्र.अ.से
- प्र.अ. - मेरा अनुरोध है कि सी.डो.55।एकजामिनर डे बुक 18.2.91 "सेक्शन"जी" का वह रजिस्टरवाहिए जिसमें श्री देवेन्द्र प्रसाद तिवारी ने काम किया और किसी रजिस्टर की जरूरत होगी तो मैं बाद में अनुरोध करूंगा ।
- ब.प्र. - यह बहुत आश्चर्य की जाती है कि प्रस्तुतकर्ता अधिकारी जाँच अधिकारी से रजिस्टर, अभिलेख की मांग कर रहे हैं। इहाँ तो उन्हें स्वयं प्रस्तुत करना चाहिए था क्योंकि जाँच अधिकारी आरोपों की सत्यता अथवा असत्यता की जाँच के लिए बैठे हुए हैं न कि बैंक की ओर से आरोपों के पक्ष में कोई अभिलेख प्रस्तुत प्रस्तुत करने के लिए ।
- जॉ.अ. - आप अपने अनुरोध के संबंध में एक लिखित पत्र हमें दें ।  
प्र.अ.से
- प्र.अ. - मैं अभी लिखित पत्र दे रहा हूँ । मैंने रजिस्टर के लिए इसलिए अनुरोध किया है कि जाँच अधिकारी महोदय संबंधित रजिस्टर के लिए उस विभाग से अनुरोध कर चुके जाँच का सारा कार्य जाँच अधिकारी के अधीन हो रहा है इसलिए उनसे अनुरोध करना उचित है ।
- ब.प्र. - अगर जाँच अधिकारी से आरोपों के पक्ष में कोई अभिलेख जुटाने के लिए अनुरोध किया जाता है तो इस बात की पूरी संभावना है कि यह जाँच निष्पक्ष नहीं होगी । जाँच अधिकारी महोदय से मेरा आग्रह है कि जाँच की कारवाही को निष्पक्ष बनाये रखने के लिए इस पूरी कारवाही में वे निष्पक्ष बने रहे तथा अपनी ओर से कोई अभियन्ची न प्रगट करें ।
- जॉ.अ. - जाँच से संबंधित सभी तथ्यों को सामने लाने के लिए जो भी अभिलेख या कागजात की आवश्यकता प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को पड़ती है उसको उन्हें उपलब्ध कराने में कोई हर्ज नहीं है और इससे जाँच कारवाही की निष्पक्षता में कोई आँच नहीं आएगी ।
- जॉ.अ. - आज की जाँच कारवाही यही स्थिति की जाती है जाँच की अगली बैठक दिनांक 24.6.92 को पूर्वाह्न 11.00 बजे निश्चित की जाती है ।

मलिन श्रीवास्तव  
।मलिन श्रीवास्तव।  
जाँच अधिकारी

डी.पी. सिन्हा  
।डी.पी. सिन्हा।  
प्रस्तुतकर्ता अधिकारी

अरुण कुमार ओझा  
।अरुण कुमार ओझा।  
बवाव प्रतिनिधि

देवेन्द्र प्रसाद तिवारी  
।देवेन्द्र प्रसाद तिवारी।  
आरोपित कर्मचारी

श्री देवेन्द्र प्रसाद तिवारी, सामान्य संवर्ग श्रेणी-11 के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या 3757/22121-91-92 दिनांक 11.2.92 द्वारा लगाये गये आरोप के संबंध में दिनांक 24.6.92 को हुई जाँच की कार्यवाही.

समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न

स्थान- डीसीओ चेम्बर, डीबीओडी, भा. रि. ब, पटना

श्री ललित श्रीवास्तव - जाँच अधिकारी - जाँ.अ.  
• डी.पी. सिन्हा - प्रस्तुतकर्ता अधिकारी- प्र.अ.  
• अरुण कुमार ओझा - बचाव प्रतिनिधि - ब.प्र.  
• देवेन्द्र प्रसाद तिवारी - आरोपित कर्मचारी - आ.क.

..

जाँ.अ. - जाँच से संबंधित सभी लोग उपस्थित है अतः अब जाँच की कारवाई शुरू की जाती है ।

जाँ.अ.  
प्र.अ.से - आप बैंक का केस प्रस्तुत करें ।

प्र.अ. - मैं जाँच अधिकारी से अनुरोध करूंगा कि मुझे इस जाँच से संबंधित कुछ रजिस्टर और मेन्युअल प्रस्तुत करने की इजाजत दी जाय ।

जाँ.अ. - इजाजत दी जाती है ।

प्र.अ. - मैं परीक्षक दैनिक पुस्तिका सी.डी.55 को प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसमें परीक्षकों को परीक्षा के लिए नोट वितरित किये जाते हैं । इस रजिस्टर के अनुसार श्री देवेन्द्र प्रसाद तिवारी का सील पी-एन एन 18.2.91 को यू.ओ. बैंक के नोट 1400x2रु. के और 1600x5रु. परीक्षण के लिए दिये गये थे ।

दूसरी रजिस्टर पंचोंग सीडी 28 के अनुसार श्री तिवारी को दिये गये सभी नोट विरूपित/डोफेस्ड किये गये । रजिस्टर के अनुसार अनुभाग में पंचोंग का काम/प्रो-लंच। 11.35 में शुरू किया गया जो 12.00 बजे समाप्त हो गया अब मैं आई.डी.मेन्युअल में दर्शाये गये कार्य पद्धति की ओर जाँच अधिकारी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा । इसके चेप्टर 3 अपैरा 72 में नोट स्वजामिनर से संबंधित पद्धति है जिसका केवल संबद्ध उद्घरण/रेलैमेंट पोरशन। में उद्धृत कर रहा हूँ ।

Immediately on receipt of the notes from the Group Supervisor, the note examiner will count and verify the number of pieces in each packet. He will thereafter open the packets one by one, examine the note/individually in the manner stated in paragraph 25 of this chapter and sort them into issuable and non-issuable which will be made into separate packets and labelled in the prescribed manner vide paragraph 32 ibid.

- इस पैरा के अनुसार ग्रुप सुपरवाइजर से नोट प्राप्त करने के बाद परीक्षक को प्रत्येक पैकेट के पोसेस को काउंट करना है और उसके बाद एक-एक पैकेट को तोड़कर उसकी परीक्षा करनी और पुनः पैकेट बनाना है। जिससे स्पष्ट होता है कि दो बार कम-से-कम गिनना है जिससे कि कोई भूल न रह जाय। यहाँ इस केस में ऐसा प्रतीत होता है कि मैनुअल प्रोमिजन के तहत काम नहीं किया गया इससे काम करने की सापरवाही हुई और बैंक के हित की हानी हुई।

जॉ. अ. - आप आप अपने तरफ से अपना पथ प्रस्तुत करना चाहेंगे।  
ब. प्र. से

ब. प्र. - बचाव पक्ष की ओर से कुछ भी कहने के पूर्व मैं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी से यह जानना चाहूँगा कि क्या उनकी ओर से और भी कोई साक्ष्य, अभिलेख अथवा गवाह जिसका उपयोग वे इस जाँच के दौरान करना चाहते हो, प्रस्तुत करेंगे अथवा उनकी ओर से सारा कार्य पूरा हो गया।

प्र. ऊ. - ~~जॉ. अ. से~~ इतने रजिस्टर के अलावा और कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने जा रहा हूँ।

ब. प्र. - जाँच की अगली तिथि को मैं बचाव पक्ष की ओर से अपनी बातें कहूँगा। फिलहाल जाँच अधिकारी से मेरा निवेदन है कि अगली तिथि को 5 रु. का वह संबद्ध पैकेट मुझे दिखाने के लिए उपस्थित करवाने की कृपा करें।

जॉ. अ. - वह पैकेट जिसमें अधिक पाया गया था क्या आपको दिखाया गया था ?  
आ. क. से

आ. क. - जी हाँ।

जॉ. अ. - क्या आपको जाँच करने के बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि उसमें किसी तरह की छेड़-छाड़ की गई थी।

आ. क. - पैकेट को घिना देखे मैं यह नहीं कह सकता कि टेम्परींग था कि नहीं। ऐसा याद हमें नहीं है।

जॉ. अ. - क्या जब वह पैकेट आपको दिखाया गया तो उसमें किसी प्रकार की गड़-बड़ों की सूचना आपने बैंक को दी।

आ. क. - याद नहीं।

जॉ. अ. - आज की जाँच कार्यवाही यहीं स्थगित की जाती है। जाँच की अगली बैठक दिनांक 26.6.92 को पूर्वाह्न 11.00 बजे निश्चित की जाती है।

जॉ. अ. से  
जॉ. अ. से  
बचाव प्रतिनिधि

प्रस्तुतकर्ता अधिकारी  
अररोपित कर्मचारी  
30.9.92

सेवा में:

श्री ललित शिवाहर,
जॉय अधिकारी,
आरतीय रिजर्व बैंक,
पटना।

कटा 1995,

विषय:- श्री देवेन्द्र प्रो रिवाली के विरुद्ध जॉय कार्रवाई।

सा. सं. क्र. 10/92

उपरोक्त विषयक विवेक है कि श्री देवेन्द्र प्रो रिवाली के विरुद्ध आरोप-पत्र क्र. एन.पी.आर 3757/22 (2)-91-92 दि. 11.2.92 द्वारा लगाए गए आरोप के संबंध में जो जॉय की कार्यवाही चल रही है, उसमें क्याच पत्र क्र. (37) एन.पी.आर के अंतर्गत अगिले को का देखने की कार्यवाही है, अतः हाथ से आरोप है कि इसे उमलवा कर ही पूरा की जाए।

श्री रिवाली का निम्न आ-5 पत्र

(2) उरुडूर का गोरल प्रेम बाबू - सीडी 4 (र) (लेखनपी - 18.2.91)

(3) डेली एकाउंट का गोरल रिसिड का एर गामिगारल (लेखनपी - सीडी 54 (लेखनपी - 18.2.91)

(4) गोरल ले 2 ए एसी संमिका (लेखनपी - 18.2.91)

(5) ए गामिगारल उरुडूलरी एरिटर - सीडी 91

प्रियपत्र,

अवधि,
अरुण,
(अरुण प्रो अरुण)
क्याच प्रतिनिधि

Date of joining - 6.1.89

① Examinewise Register of Irregularities. - cd) 91  
w.e.f. 1.3.1989

No history of advertisement performing work.

18.5.91 - 3x5 excess - Date of exam<sup>n</sup>  
VS No. 58 dt. 2.4.91 18.2.91

7.1.92 - 1x5 Multd. - Date of exam<sup>n</sup>  
VS No. 246 dt. 26.11.91 28.9.91

② Packet of Rs 5/-

- Two Stickers
- Packet was broken and exam<sup>n</sup> done separately of each and every piece.
- Packet was shown to the examiner on 3.4.91 - Excess was detected in the verify<sup>n</sup> section 2.4.91

③ CD-54 from 31.10.90 to 22.2.91  
(Daily Account of Notes Received for Examination)

वित्तिये के लिए प्राप्त नोटों का दैनिक खाता

विवरण (ex Rd.)	₹ 2/-	₹ 5/-	₹ 10/-	₹ 20/-	₹ 50/-	₹ 100/-
विवरण (ex Rd.)	20000	16000	17000	3000	1000	
अन्य विवरण	1/-	4000	1000	1000	2000	7000
विवरण (Fr. Rd.)						2000
कुल (Fr. Rd.)			6900			

Dr. of Bank



श्री देवेन्द्र प्रसाद तिवारी, सामान्य संवर्ग श्रेणी-11 के विरुद्ध आरोप-पत्र संख्या एमजीआर. 375722121-91-92 दिनांक 11.2.92 द्वारा लगाये गये आरोप के संबंध में दिनांक 26.6.92 को हुई जाँच की कार्यवाही.

समय - 11.00 बजे पचाह्न

स्थान- डीसीओ चेम्बर, डीबीओडी, भा रि. बं, पटना

श्री ललित श्रीवास्तव	- जाँच अधिकारी	- जाँ. अ.
• डी. पी. सिन्हा	- प्रस्तुतकर्ता अधिकारी	- प्र. अ.
• अरुण कुमार ओझा	- बचाव प्रतिनिधि	- ब. प्र.
• देवेन्द्र प्रसाद तिवारी	- आरोपित कर्मचारी	- आ. क.

...

जाँ. अ. - जाँच से संबंधित सभी लोग उपस्थित है अतः जाँच की कारवाई शुरू की जाती है ।

जाँ. अ. / ब. प्र. से - बचाव प्रतिनिधि को 5/-रु. का वह संबंधित पैकेट, भी. 5 संख्या 58 सी. डी. 91, सी. डी. 54 रजिस्टर जाँच के लिए उपलब्ध कराये गये । इस संबंध में आपको जो कहना हो कह सकते है ।

ब. प्र. / आ. क. से - आपने भारतीय रिजर्व बैंक, पटना में किस तिथि को योगदान किये थे ।  
आ. क. - 6.1.1989 को ।

ब. प्र. / आ. क. से - पैकेट भी. 5 संख्या 58 तथा सी. डी. 91 को जाँच अधिकारी को दिखाया गया । पैकेट से यह स्पष्ट होता है इस पैकेट का स्टॉच कई बार तोड़ा गया है । इससे यह स्पष्ट है कि परीक्षण अनुभाग में परीक्षक ने इस पैकेट को तोड़ कर निर्गम विभाग में न्युअल में उल्लेखित परीक्षण के प्रावधानों के अनुकूल नोटों की गणना की तथा परीक्षण किया है ।

सी. डी. 91 रजिस्टर तथा भी. 5 संख्या 58 दिनांक 2.4.91 से यह स्पष्ट है कि बैंक की नौकरों में आने के बाद से लेकर अभी तक श्री तिवारी के द्वारा दिनांक 18.2.91 को यह पहली गड़बड़ी हुई जिसमें की नोटों की स्थिति खराब हो रहे रहने के कारण 5/-रु. के पैकेट में 3 नोट अधिक निकले । दिनांक 18.2.91 से पूर्व तथा आज तक की स्थिति में उनसे और कोई गड़बड़ी नहीं पाई गयी । इससे यह भी स्पष्ट होता है कि श्री तिवारी ने अपने काम में लापरवाही नहीं बरती है तथा निर्गम विभाग में उल्लेखित प्रावधानों के अनुकूल ही अपना कार्य संपादित करते हैं यद्यपि प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों अथवा तर्कों श्रद्धेय यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि श्री तिवारी ने अपने काम में लापरवाही की है तथा बैंक को हानि पहुंचाई है परन्तु फिर भी इनकी निर्दोषी घोषणा करने के लिए जाँच की अगली तिथि के लिए बचाव पक्ष को ओर से श्री विश्वजी गौतिया, सामान्य संवर्ग श्रेणी-11 को बचाव गवाह के रूप में इस जाँच के समक्ष लाने के लिए मैं जाँच अधिकारी महोदय से

- निवेदन करता हूँ कि उन्हें जॉब के समक्ष बुलाने को अनुमति हमें दें। तथा उसी तिथि को मैं अन्य गवाहों को सूची तथा अगर आवश्यक हुआ तो अन्य साक्ष्य अथवा अभिलेख प्रस्तुत करूंगा।

जॉ. अ. - आज को जॉब कारवाई यही स्थगित की जाती है। जॉब की अगली बैठक की सूचना बाद में संबंधित व्यक्तियों को दी जायेगी।

मलिन श्रीवास्तव  
जॉब अधिकारी

डॉ. पी. सिन्हा  
प्रस्तुतकर्ता अधिकारी

अरुण कुमार ओझा  
बचाव प्रतिनिधि

देवेन्द्र प्रसाद तिवारी  
आरोपित कर्मचारी

दी.

Page 1031  
Vol. 49

8-91 - 1x1 Short V5 110

1x1 Excess V5 111

12-9-91 - 1x1 Excess V5 150 Alt 22.8

2x Excess V5 151 - 22.89

of Time - 35

18-5-91 - 3x5 Excess

V5 - 58 Alt 2.4.91

7-1/2-91

1x5 Meubles

V5 - 211

18.7.91

रॉल नंबर 1000X1 T.No 1.

रॉल नंबर 20,000X11 / T.No 2-1400

T3 - 600

all cancelled

Table No - III

Gr. J.K. Sharma

श्री देवेन्द्र प्रसाद तिवारी, सामान्य संवर्ग श्रेणी-11 के विरुद्ध आरोप-पत्र संख्या एमजीआर. 3757/22121-91-92 दिनांक 11.2.92 द्वारा लगाये गये आरोप के संबंध में दिनांक 30.9.92 को हुई जांच की कार्यवाही.

समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न

स्थान- डीसीओ चेम्बर, डीबीओडी, भा. रि. बैं, पटना

श्री ललित श्रीवास्तव	-	जांच अधिकारी	-	जॉ. अ.
" डॉ. पी. सिन्हा	-	प्रस्तुतकर्ता अधिकारी	-	प्र. अ.
" अरूण कुमार ओझा	-	बचाव प्रतिनिधि	-	ब. प्र.
" देवेन्द्र प्रसाद तिवारी	-	आरोपित कर्मचारी	-	आ. क.

..

जॉ. अ. - जांच से संबंधित सभी लोग उपस्थित है अतः अब जांच की कारवाई शुरू की जाती है ।

जॉ. अ. - दिनांक 26.6.92 को हुई जांच कारवाई में आपने श्री विश्वजीत गौतिया को बचाव गवाह के रूप में प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी थी, उसको अनुमति दी जाती है ।

श्री विश्वजीत गौतिया, बचाव पक्ष के गवाह के रूप में जांच के समक्ष उपस्थित हुए।

ब. प्र. - सर्वप्रथम आप अपना परिचय दें । आपका नाम क्या है ?

ब. ग. से

ब. ग. - मेरा नाम विश्वजीत गौतिया है ।

ब. प्र. - क्या आप दिनांक 18.2.92 को बैंक आये थे ?

ब. ग. - हाँ आये थे ।

ब. प्र. - उस दिन यानि 18.2.92 को आप बैंक में कहाँ कार्यरत थे ?

ब. ग. - नकदी विभाग के अनुभाग "जी" में कार्यरत था ।

ब. प्र. - क्या उस दिन आपके साथ उस अनुभाग में श्री देवेन्द्र प्रसाद तिवारी भी कार्यरत थे ?

ब. ग. - जी हाँ.

ब. प्र. - क्या आप दोनों लोग एक ही टेबुल पर काम कर रहे थे ।

ब. ग. - जी हाँ.

ब. प्र. - उस दिन उस अनुभाग में परीक्षण के लिए आपको जो नोट आपके टेबुल पर दिये गये थे उनकी स्थिति कैसी थी ।

ब. ग. - अधिकांश नोट औसत दर्जे से खराब थे और चिपकने वाले थे ।

ब. प्र. - धन्यवाद गौतिया जी । अब हमें आपसे कुछ नहीं पूछना है ।

जॉ. अ. - क्या आप बचाव पक्ष के गवाह का प्रतिपरीक्षण करना चाहेंगे ।

प्र. अ. से

प्र. अ. - जी हाँ.

प्र. अ. - श्री विश्वजीत गौतिया जी आप बता सकते हैं कि उस दिन नोट कहाँ का था आपको कुछ याद है ?

ब. ग. से - याद नहीं है ।

- चेष्ट या लोकल बैंक का ?

2. 9/2  
3/2

- ब. ग. - निश्चित तौर पर नहीं बता सकते हैं ?
- प्र. अ. - लोकल बैंक और चेस्ट नोट के क्वालिटी में कुछ अंतर होता है?
- ब. ग. - चेस्ट नोट जो अनुभाग में आता है वह कभी-कभी बैंक नोट की ही तरह होता है। लेकिन अधिकांश समय में वह बहुत ही ज्यादा सराब चिकाऊ और कटा-फटा ~~खुरदरा-खुरदरा~~ होता है। बैंक नोट जहाँ तक अनुभाग में आने का प्रश्न है वह औसतन चेस्ट नोट की तुलना में कुछ अच्छा होता है। लेकिन कभी-कभी लोकल बैंक में आनेवाले नोट भी बहुत ही ज्यादा सराब रहता है और ये विभेदीकरण करना बहुत ही मुश्किल होता है कि बैंक नोट है या चेस्ट नोट ।
- जॉ. अ. - क्या आपको और कोई गवाह तो प्रस्तुत नहीं करना है ।
- ब. प्र. से
- ब. प्र. - मुझे श्री तिवारी को निर्देशित करने के लिए अन्य किसी गवाह या साक्ष्य को प्रस्तुत नहीं करना है । अब मैं अभी तक को हुई जाँच कारवाई को सारांश में प्रस्तुत करूंगा ।
- जॉ. अ. - इस जाँच को अगली बैठक दिनांक 14.10.92 को पूर्वाह्न 11.00 बजे निश्चित की जाती है उस दिन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी अपने पक्ष का सारांश प्रस्तुत करेंगे ।
- प्र. अ. से

*ललित श्रीवास्तव*  
ललित श्रीवास्तव  
जाँच अधिकारी

डॉ. पी. सिन्हा  
प्रस्तुतकर्ता अधिकारी

*अरुण कुमार ओझा*  
अरुण कुमार ओझा  
बचाव प्रतिनिधि

विश्वजित गौतिया  
बचाव गवाह.

देवेन्द्र प्रसाद तिवारी  
आरोपित कर्मचारी

श्री देवेन्द्र प्रसाद तिवारी, सामान्य संवर्ग श्रेणी-11 के विरुद्ध आरोप-पत्र संख्या समजीआर 3707/22121-91-92 दिनांक 11.2.92 द्वारा लगाये गये आरोप के संबंध में दिनांक 14.10.92 को हुई जाँच की कार्यवाही.

समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न

स्थान - डीसीओ चेम्बर, डीसीओडी, भा. रि. बँ, पटना

श्री ललित श्रीवास्तव	- जाँच अधिकारी	- जाँ.अ.
• डी.पी. सिन्हा	- प्रस्तुतकर्ता अधिकारी	- प्र.अ.
• अरुण कुमार ओझा	- <del>अध्यक्ष</del> बवाब	- ब.प्र.
• देवेन्द्र प्रसाद तिवारी	- आरोपित कर्मचारी	- आ.क.

...

जाँ.अ. - जाँच में संबंधित सभी लोग उपस्थित है अतः अब जाँच की कारबाई शुरू की जाती है। पिछली बैठक में यह तय हुआ था कि प्रस्तुतकर्ता अधिकारी अपना सारांश प्रस्तुत करेंगे। अतः उनसे आग्रह है कि वे अपना सारांश आज प्रस्तुत करें।

प्र.अ. - इस केस को प्रस्तुत करते समय मैंने जाँच अधिकारी के समक्ष सी.डो. 95 एक्जामिनर डे बुक प्रस्तुत किया था जिसके अनुसार श्री देवेन्द्र प्रसाद तिवारी ने 18.2.91 को यूको बैंक, पटना का 1400x2 और 100x5 नोट का परीक्षण किया था उसी समय मैंने आई.डी. मेन्युअल के चैप्टर 111 के पैरा 72 काउंटेड उल्लिखित संबंधित उद्धरण भी जाँच अधिकारी के सामने प्रस्तुत किया था जिसके अनुसार नोट की प्राप्ति के तुरंत बाद नोटों को गिनती करने का प्रावधान है। उसके बाद एक-एक पैकेट को तोड़कर उसका परीक्षण और शौर्टिंग करके पुनः नोटों को गिनकर पैकेट बनाना इस प्रकार किसी भी पैकेट को 2 बार काउंट करना है। एक-बार पैकेट तोड़ने के पहले और पुनः परीक्षण के बाद पैकेट बनाने के लिए। इस प्रावधान के अनुसार काम करने में एक ही प्रकार की गलती दो बार होने की संभावना नहीं है। इससे प्रमाणित होता है कि श्री देवेन्द्र प्रसाद तिवारी ने अपने कर्तव्यपालन में असवधानों बरती।

पंचिंग रजिस्टर भी जाँच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे जिसके अनुसार पंचिंग का कार्य 11.35 बजे शुरू हुआ और 25 मिनट में समाप्त हो गया। 12.00 बजे अनुभाग में पंचिंग का कार्य समाप्त होना यह प्रमाणित करता है कि नोटों की स्थिति खराब नहीं थी।

प्रणय: न्यू चेस्ट बैंक के नोटों की चेस्ट नोट की अपेक्षा स्थिति अच्छी रहती है। इसे बवाब पक्ष के गवाह श्री गौंतिया ने भी स्वीकार किया है। उस दिन श्री देवेन्द्र प्रसाद तिवारी को परीक्षण के लिए दिये गये नोट किसी चेस्ट बैंक के नहीं थे बल्कि यूको बैंक, पटना के डेली टेण्डर नोट थे। अतः नोटों की स्थिति खराब होने का तर्क आधारहीन है। इन बिन्दुओं से प्रमाणित होता है कि श्री देवेन्द्र प्रसाद तिवारी ने

- अपने कर्तव्य पालन में असावधानी बरती और इससे बैंक के हित को हानि पहुँची ।

जॉ. अ. - जॉय को अगली बैठक 22.10.92 को पूर्वाह्न 11.00 बजे निश्चित की जाती है । उस दिन बचाव पथ अपना सारांश प्रस्तुत करेंगे ।

*मलिन श्रीवास्तव*  
।मलिन श्रीवास्तव।  
जॉय अधिकारी

।डॉ. पी. सिन्हा।  
प्रस्तुतकर्ता अधिकारी

*अरुण कुमार ओझा*  
।अरुण कुमार ओझा।  
बचाव प्रतिनिधि

।देवेन्द्र प्रसाद तिवारी।  
आरोपित कर्मचारी

टी.



श्री देवेन्द्र प्रसाद तिवारी, सामान्य संवर्ग श्रेणी-11 के विरुद्ध आरोप-पत्र संख्या एमजीआर. 3757/22121-91-92 दिनांक 11.2.92 द्वारा लगाये गये आरोप के संबंध में दिनांक 23.10.92 को हुई जाँच की कार्यवाही.

समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न

स्थान- डीसीओ चेम्बर, डीबीओडी, भा. रि. बं, पटना

श्री ललित श्रीवास्तव	- जाँच अधिकारी	- जाँ. अ.
डॉ. पी. सिन्हा	- प्रस्तुतकर्ता अधिकारी	- प्र. अ.
अरुण कुमार ओझा	- बचाव प्रतिनिधि	- ब. प्र.
देवेन्द्र प्रसाद तिवारी	- आरोपित कर्मचारी	- आ. क.

जाँ. अ. - जाँच से संबंधित सभी लोग उपस्थित है अतः अब जाँच की कारवाई शुरू की जाती है। पिछली बैठक में यह तय हुआ था कि बचाव प्रतिनिधि अपना सारांश जाँच की अगली तिथि को प्रस्तुत करेंगे। आज वे अपना सारांश प्रस्तुत करें।

ब. प्र. - श्री देवेन्द्र प्रसाद तिवारी दिनांक 18.2.91 को बैंक में अपना परीक्षण कार्य के दौरान जब थे तो 5/-रु. के पैकेट में तीन नोट अधिक रख दिये जो 2.4.91 को सत्यापन अनुभाग में सत्यापित हुआ। तथा उसके आधार पर एमजीआर. 3757/22121-91-92 दिनांक 11.2.92 के आरोप-पत्र द्वारा श्री तिवारी पर 2 आरोप लगाये गये कि पहला इन्होंने अपने कार्य के दौरान लापरवाही बरती है और दूसरा अपने इस कार्य के द्वारा इन्होंने बैंक के हित को हानी पहुँचाई। दिनांक 24.6.92 को हुए जाँच की कार्य के मध्य में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने आरोपी की पुष्टि के संबंध में टी. अ. प्रस्तुत किया है। III निर्गम विभाग मैनुअल के चेप्टर-111 के पैरा 72 में वर्णित प्रावधान का उल्लेख किया है। तथा उसके आधार पर यह अनुमान लगाया है कि श्री तिवारी ने परीक्षण की प्रक्रिया को ठीक से नहीं अपनाया। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी कहते हैं "यहाँ इस केस में ऐसा प्रतीत होता है कि मैनुअल प्रोभिजन के तहत काम नहीं किया गया तथा काम करनी की लापरवाही हुई और बैंक के हित को हानी हुई" यहाँ यह स्पष्ट है कि प्रस्तुतकर्ता अधिकारी कोई स्पष्ट साक्ष्य अथवा तथ्य प्रस्तुत नहीं कर रहे है वरन् केवल हानी जैसी अनुमानों के आधार पर आरोप को पुष्ट करना चाहते है। लेकिन अनुमानों के आधार पर किसी तथ्य को पुष्ट करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुकूल नहीं होगा ऐसा जाँच अधिकारी महोदय से मेरा अनुरोध है।

श्री तिवारी ने आरोप-पत्र के उत्तर में यह स्पष्ट कहाँ था कि उनके द्वारा जानबूझ कर अपने कार्य में कोई लापरवाही नहीं बरती गई है तथा बैंक के हितों को कोई हानी नहीं पहुँचाई है। जाँच के दौरान यह तथ्य स्पष्ट रूप से स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो चुका है। जाँच अधिकारी महोदय के समक्ष 5/-रु. का वह पैकेट भी-5 सं. 58 तथा सी.डी. 91 रजिस्टर भी परीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया था। उस पैकेट को यहाँ निर्विवाद रूप से प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत अनुमानों को पूर्णतः ध्वस्त कर दिया क्योंकि वह पैकेट का स्टोच जिसमें अनेक स्टोच थे तोड़े गये थे।

- तथा निर्गम विभाग मैन्युअल में वर्णित प्रावधानों के अनुकूल हुआ उसका परीक्षण किया गया था। वह पैकेट काफी गंदा तथा खराब नोटों से बना हुआ था जिसमें चिपकने वाले नोट थे। पर्यवेक्षण के लिए प्रस्तुत रजिस्टर से भी यह स्पष्ट हुआ था कि श्री तिवारी के द्वारा इस एक विशेष घटना को छोड़कर बैंक में आने से लेकर अबतक कोई और लापरवाही नहीं हुई।

बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाह श्री विश्वजित गौंतिया ने भी जाँच के समय यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उस दिन उनके टेबुल पर जो नोट परीक्षण के लिए आये उसमें से अधिकांश नोटों की स्थिति ठीक नहीं थी। अतः औसत दर्जे से खराब और चिपकनेवाले थे। प्रतिपरीक्षण के दौरान भी श्री गौंतिया ने यह स्पष्ट कहा है कि बैंक में आनेवाले डेली टेंडर के नोट भी कभी-कभी कैरेंसी चेकट से आनेवाले नोट के समान ही खराब होते हैं। और उस दिन आनेवाले नोटों की स्थिति खराब ही थी।

प्रस्तुत कर्ता अधिकारी ने दो और तर्क यहाँ भी दिया है कि स दिन पंचिंग का काम अनुभाग में 11.35 बजे शुरू हुआ और 12.00 बजे समाप्त हो गया। इस तर्क के द्वारा किसी भी प्रकार से श्री तिवारी के विरुद्ध आरोपों को पुष्टि नहीं होती है। क्यों इसमें कही यह स्पष्ट नहीं है कि श्री तिवारी नोटों का छिट्ठन कितने बजे हुआ। एक ही अनुभाग तथा एक ही टेबुल थे और खराब दोनों प्रकार के नोटों का मिश्रण परीक्षण के दौरान पाया जाता है।

प्रस्तुत कर्ता अधिकारी के इस तर्क में भी कोई टम नहीं है। इन्होंने तर्क दिया है कि उस दिन अनुभाग में आनेवाले नोट चेकट के नहीं होकर डेली टेंडर नोट थे। श्री गौंतिया ने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि डेली टेंडर नोट भी कभी कभी चेकट नोट के समान ही खराब और चिपकनेवाले होते हैं। इसलिए इनका यह तर्क भी ध्वस्त हो जाता है।

पूरे जाँच कार्य के दौरान प्रस्तुत कर्ता अधिकारी ने केवल यही तीन तर्क प्रस्तुत किया है। इन तीन प्रकार से किसी भी प्रकार से श्री तिवारी के विरुद्ध आरोपों को पुष्टि नहीं होता है जबकि जाँच के दौरान प्रस्तुत किये गये नोट के पैकेट सम्बद्ध रजिस्टर और गवाह के बयान से यह निर्विवाद रूप से प्रमाणित हो गया है कि श्री तिवारी पर लगाये गये आरोप निराधार है।


श्री तिवारी ने अपने कार्य में जानबूझकर कोई लापरवाही नहीं बरती है तथा बैंक के हित को किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुँचाई है।

श्री तिवारी बैंक में अपने कर्तव्य से निरलस रूप से कार्य करते हुए निष्ठापूर्वक संपूर्ण पररिस्थितियों तथा अंत में जाँच अधिकारी महोदय से मेरा विनम्र आग्रह है कि सम्पूर्ण पररिस्थितियों तथा तथ्यों के आलोक में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए श्री तिवारी को आरोप मुक्त करने की कृपा करें।


जाँ.अ. - आपको इस जाँच के संबंध में कुछ कहना है।  
आ.क.से

आ.क. - जी नहीं।

जॉ. अ. - आज इस जॉच प्रक्रिया को अंतिम रूप से समाप्त की जाती है। इस जॉच कार्य में सहयोग देने के लिए मैं अपनी ओर से प्रस्तुतकर्ता अधिकारी श्री डो. पी. सिन्हा, बचाव प्रतिनिधि श्री अरुण कुमार ओझा, आरोपित कर्मचारी श्री टेकेन्द्र प्रसाद तिवारी एवं आधुनिक श्री दीपक कुमार सिन्हा को धन्यवाद देता हूँ।

  
ललित श्रीवास्तव  
जॉच अधिकारी

डो. पी. सिन्हा।  
प्रस्तुतकर्ता अधिकारी

  
अरुण कुमार ओझा।  
बचाव प्रतिनिधि

टेकेन्द्र प्रसाद तिवारी।  
आरोपित कर्मचारी

टी.

कृपया पत्रोत्तर में उद्धृत कर  
Please quote in reply :-

संदर्भ सं० : Ref. No. एमजीआर/ 4155 /02.01.03-92/93

12 अप्रैल 1993

22 मई 1915 (शक) (Saka)

श्री देवेन्द्र प्रसाद तिवारी  
सामान्य सर्वग्रेणी II  
नकदी विभाग  
भारतीय रिजर्व बैंक  
पटना I

D

10/4/93

द्वारा: कोषपाल, नकदी विभाग, भा. रि. बैंक, पटना।

प्रिय महोदय,

कारण बताओ नोटिस

संदर्भ: आरोप पत्र संख्या एमजीआर/ 3757 /22121-91/92  
दिनांक 11 फरवरी 1992।

आपको सूचित किया जाता है कि सक्षम प्राधिकारी आपके केस में प्रस्तुत तथ्यों/साक्ष्यों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि उपर्युक्त आरोप पत्र द्वारा आपके विरुद्ध लगाया आरोप साक्षित एवं स्थापित हो चुका है। जयि अधिकारी की रिपोर्ट एवं सक्षम प्राधिकारी के निष्कर्ष की एक एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।

2. सक्षम प्राधिकारी ने निम्नलिखित दण्ड आप पर लगाने का प्रस्ताव किया है :

"भारतीय रिजर्व बैंक स्टाफ विनियमावली, 1948 के विनियम 471111ग के साथ पर्युक्त विनियम 471111ख के अनुसार श्री देवेन्द्र प्रसाद तिवारी का मूल वेतन रु. 1155-55-1320-75-1545-85-1630-90-1720-95-1815-100-2015-115-2130-130-2390-155-2545-175-3245 के वेतनमान में अंतिम आदेश पारित होने की तिथि से छः माह के लिये उनका वर्तमान वेतन एक प्रकृम घटा दिया जाये। किन्तु इसके फलस्वरूप उन्हें मिलनेवाली भविष्य की वेतनवृद्धियाँ प्रभावित नहीं होंगी।"

3. आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि प्रस्तावित दण्ड के विरुद्ध आपको कोई अभ्यावेदन देना है तो उसे आप लिखित रूप में या व्यक्तिगत रूप से सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर दिनांक 20 अप्रैल 1993 तक प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि उक्त तिथि तक आपका कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होता है तो सक्षम प्राधिकारी यह मानकर कि प्रस्तावित दण्ड के विरुद्ध आपको कोई अभ्यावेदन नहीं देना है आगे की कार्रवाई करेंगे।

भव दी य

श्री देवेन्द्र प्रसाद तिवारी

कार्यकारी अधिकारी

अनु: 22पीट

श्री हेवेन्दु प्रसाद तिवारी, सामान्य संवर्ग श्रेणी-11, नकदी विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, पटना के विरुद्ध आरोप-पत्र संख्या एमजीआर. 3757/22121-91-92 दिनांक 11.2.92 द्वारा लगाये गये आरोपों के संबंध में की गयी जाँच के आधार पर जाँच अधिकारी की रिपोर्ट.

...

समम अधिकारी के रूप में प्रबन्धक द्वारा दिनांक 9.3.92 के कार्यालय आदेश संख्या 276 के उनके आदेश के अनुसार मुझे प्रस्तुत शक्तियों के अनुसरण में मैंने श्री हेवेन्दु प्रसाद तिवारी, सामान्य संवर्ग श्रेणी-11, नकदी विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, पटना को आरोप-पत्र प्राप्त कर्मचारी कहा जायेगा, के विरुद्ध दिनांक 11.2.92 के आरोप-पत्र संख्या एमजीआर. 3757/22121-91-92 द्वारा लगाये गये आरोपों के संबंध में जाँच की।

श्री डी. पी. सिन्हा, सहायक कोषपाल, नकदी विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, जिन्हें इसके बाद प्रस्तुतकर्ता अधिकारी कहा जायेगा ने दिनांक 9.3.92 के कार्यालय आदेश संख्या 276 के अनुसार बैंक की ओर उक्त मामले में प्रस्तुत किया। आरोप-पत्र प्राप्त कर्मचारी के पत्र दिनांक 9.6.92 तथा रिजर्व बैंक वर्कर्स ओर्गनाइजेशन, पटना के पत्र दिनांक 9.6.92 के अनुसार श्री अरुण कुमार ओझा, सामान्य संवर्ग श्रेणी-11, नकदी विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, पटना जिन्हें इससे बाद बचाव प्रतिनिधि कहा जायेगा। ने आरोप-पत्र प्राप्त कर्मचारी को ओर से इस मामले में बचाव पक्ष प्रस्तुत किया।

2.111 मौखिक जाँच की छः घण्टें हुई।

2.121 जाँच के दौरान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने आरोप-पत्र प्राप्त कर्मचारी के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को स्थापित करने हेतु आवश्यक प्रमाण देने के लिए परीक्षक टैनिक् पुस्तिका। सोडो 591, पेंसिंग रजिस्टर सीडी. 28 तथा आई. डी. मैन्युअल के सेक्टर 3 पैरा 72, के प्रावधानों को मेरे समक्ष प्रस्तुत किया।

2.131 आरोप-पत्र प्राप्त कर्मचारी ने बचाव प्रतिनिधि ने एक गवाह श्री विश्वजोत गौतिया सामान्य संवर्ग श्रेणी-11, नकदी विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, पटना। से प्रश्न पूछे तथा बैंक द्वारा आरोप-पत्र प्राप्त कर्मचारी के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को खंडन करने की दृष्टि से 5/-रु. का संबंधित पैकेट, भी. 5 संख्या 58, सोडो. 91 एवं सीडी. 54 रजिस्टर उपलब्ध कराने की मांग की। जिसे उन्हें जाँच के दौरान उपलब्ध कराया गया। उनके मामले में उपसंहार सुनने के बाद मैं जाँच कारवाई को समाप्त करता हूँ।

3. रिकार्ड में दर्ज गवाह/साक्ष्य तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी एवं आरोप-पत्र प्राप्त कर्मचारी/बचाव प्रतिनिधि के उपसंहार में अवधि करने से पहले मैं इस जाँच से संबंधित मामले एवं तथ्यों को प्रस्तुत करता हूँ।

4. आरोप-पत्र के अनुसार सत्यापन अनुभाग में 2.4.91 को निरस्त नोटों के सत्यापन के दौरान 5/-रु. का एक पैकेट में, जिसपर सोल संख्या पीएनएस. दिनांक 18.2.91 अंकित थी, जिसका परीक्षण आरोपित कर्मचारी ने किया था, में 5/-रु. नोट के 3 पीसेस अधिक पाये गये। इस संबंध में आरोप-पत्र प्राप्त कर्मचारी पर लगाये गये आरोप नोचे दिये गये हैं।

5.111 आरोप-पत्र प्राप्त कर्मचारी द्वारा बैंक में कार्य के दौरान असावधानी बरतना, एवं

5.121 आरोप-पत्र प्राप्त कर्मचारी द्वारा इस तरह का कार्य करना जो कि बैंक हित में नहीं था.

6. आरोप-पत्र प्राप्त कर्मचारी के उत्तर पर विचार करने के पश्चात् सभ्य प्राधिकारी ने आरोपों के संबंध में जाँच करने का निर्णय लिया। और तदनुसार भारतीय रिजर्व बैंक स्टाफ विनियमावली 1948 के विनियम 47131 के अनुसार अंतिम आदेश पारित करने के लिए जाँच करने की आवश्यकता इस रिपोर्ट के पैरा 11 में संदर्भित आदेश के अनुसार मुझे सौंपी गयी। अब मैं अगले अनुच्छेदों में जाँच के दौरान भेरे समक्ष प्रस्तुत बयान/साक्ष्य को जाँच करता हूँ ताकि यह विचार किया जा सके कि आरोप-पत्र प्राप्त कर्मचारी के विरुद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध हुआ है या नहीं।

7. आरोप-पत्र प्राप्त कर्मचारी पर पहला यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने बैंक में कार्यरत होकर असावधानी बरती। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने इस संबंध में आई.डी.मैन्युअल के चैप्टर 3 के पैरा 72 की ओर ध्यान दिलाते हुए जोर दिया कि संबंधित पैकेट को ग्राहकों के अनुसार 2 बार गिनना पड़ता है और एक ही गलती के दो बार होने की संभावना नहीं है। भेरे सामने प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों से यह साबित होता है कि श्री देवेन्द्र तिवारी द्वारा गणित संबंधित 5/-रु. के पैकेट में सत्यापन के दौरान 3 पोसेस अधिक पाये गये। उक्त पैकेट जब आरोप-पत्र प्राप्त कर्मचारी को दिखाया गया तो उसमें किसी प्रकार की अटलाबदली होने की संभावना पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की थी। बचाव प्रतिनिधि ने अपना पक्ष प्रस्तुत करते समय इस बात पर जोर दिया कि आरोपित कर्मचारी का यह प्रथम और जाँच होने तक आखरी गलती है। इससे प्रदर्शित होता है कि आरोपित कर्मचारी सावधानीपूर्वक काम करते रहे हैं। उन्होंने गवाह के प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी साबित करने की कोशिश की आमतौर पर नोट की वस्तुस्थिति ठीक नहीं होने से भी ऐसा हो जाता है। किन्तु उन्होंने संबंधित पैकेट के नोटों की गणना होने की स्थिति के बारे में कोई ठोस बयान प्रस्तुत नहीं किया। संबंधित पैकेट जो सहाय के रूप में प्रस्तुत किया गया उसमें नोटों की स्थिति बचाव पक्ष को दलील के अनुसार विपक्षवाले नोट जैसी नहीं पाई गई। अतः विवादित पैकेट में 3 अधिक नोट पोसेस का पाया जाना आरोपित कर्मचारी की असावधानी को दर्शाता है।

8. आरोप-पत्र प्राप्त कर्मचारी पर दूसरा यह आरोप है कि उन्होंने जिसतरह से कार्य किया उसे बैंक के हितों को हानि पहुँची। जैसा कि उपर साबित हो चुका है कि आरोप-पत्र प्राप्त कर्मचारी ने 5/-रु. के विवादित पैकेट की गणना में असावधानी बरती थी। नकदी विभाग में कार्य करते समय इसतरह की असावधानी बैंक के लिए हानाकारक साबित हो सकती है। यद्यपि आरोप-पत्र प्राप्त कर्मचारी ने अन्य सभी अवसरों पर अपना कार्य सावधानीपूर्वक करने का प्रमाण दिया है फिर भी इनकी उक्त असावधानी के कारण बैंक के हितों को हानि हुई।

निष्कर्ष:

9. श्री देवेन्द्र प्रसाद तिवारी, सामान्य संवर्ग श्रेणी-11, के विरुद्ध आरोप-पत्र संख्या एमजीआर. 3757/22121-91-92 दिनांक 11.2.92 द्वारा लगाये गये आरोप के संबंध में की गयी जाँच कारवाही एवं आरोप-पत्र प्राप्त कर्मचारी के बचाव प्रतिनिधि तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा दिये गये सारांश/उपसंहार से आरोपित कर्मचारी पर लगाये गये आरोप सिद्ध होते हैं।

10. जाँच कारवाही का मूल रिकार्ड इसके साथ संलग्न है।

ललित श्रावास्तव  
जाँच अधिकारी  
संलग्न.....पन्ने.

12-11-2011

श्री देवेन्द्र प्रसाद तिवारी, सामान्य तंत्रण प्रणी 11,  
भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना के विरुद्ध निर्गत दिनांक  
11.2.1992 के आरोप पत्र संख्या समजोआर/3757/  
22121-91/92 द्वारा शुरू की गयी जांच कार्रवाई -  
जांच अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट की प्रस्तुति के  
उपरान्त तत्काल प्रतिकारों के जांच निष्कर्ष

---

- दिनांक 11.2.1992 के आरोप पत्र संख्या समजोआर/3757/22121-91/92 के अनुसार श्री देवेन्द्र प्रसाद तिवारी, सामान्य तंत्रण प्रणी 11 पर 111 अपने कर्तव्य के निर्वहण में लापरवाही बरतने तथा 1111 बैंक के हित के प्रतिबन्धित कार्य करने के आरोप लगाये गये थे ।
2. जांच अधिकारी ने जांच के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर दिनांक 4.2.1993 को अपना जांच रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला है कि आरोप पत्र प्राप्त कर्मचारी के विरुद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध हो गये हैं ।
3. मैं श्री देवेन्द्र प्रसाद तिवारी, सामान्य तंत्रण प्रणी 11 के विरुद्ध निर्गत दिनांक 11.2.1992 के आरोप पत्र संख्या समजोआर/3757/22121-91/92 द्वारा लगाये गये आरोपों के संदर्भ में की गयी जांच कार्रवाई को सम्पूर्ण कार्यवाही तथा दिनांक 4.2.1993 को प्रस्तुत जांच अधिकारी की जांच रिपोर्ट को गौर से पढ़ा है । मैं स्पष्ट हूँ कि जांच की कार्रवाई विहित प्रक्रिया एवं नैतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप चलाई गयी है तथा आरोपित कर्मचारी को जांच के दौरान अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये अथेष्ट समय प्रदान किया गया है ।
4. मैं जांच अधिकारी के निष्कर्षों, कि आरोपित कर्मचारी पर बैंक द्वारा लगाये आरोप सिद्ध होते हैं, से सहमत हूँ । श्री तिवारी द्वारा नोट परीक्षण अनुभाग-जी में दिनांक 18.2.1991 को जांच किये गये । *examined* । ₹.5/- के एक निरस्त पकेट । सोम संख्या पीएनएस। में तीन नोट अधिक सत्यापन के दौरान सत्यापन अनुभाग में पकड़े गये । इससे स्पष्ट है कि श्री तिवारी ने अपने कार्य में लापरवाही बरती एवं बैंक के हितों की अनदेखी की । उनके बचाव प्रतिनिधि के क्लेशों भी तब से यह साबित नहीं होता कि उनके द्वारा परीक्षित ₹.5/- के पकेट में तीन नोटों का अधिक पाया जाना उनको असावधानी का प्रमाण नहीं है ।
5. तदनुसार मैं श्री तिवारी को उन पर लगाये गये आरोप का दोषी मानता हूँ ।
6. श्री तिवारी द्वारा अपने कर्तव्य के निष्पादन में बरती गयी असावधानी तथा इस प्रकार की असावधानी से बैंक के हितों के संभावित नुकसान या नुकसान की प्रवृत्ति को मद्दे नजर रखते हुये मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि भारतीय रिज़र्व बैंक । एफ। विनियमावली, 1948 के विनियम 47(1)(1)(ग) के साथ पठित विनियम 47(1)(1)(ख) के अनुसार श्री तिवारी का मूल वेतन ₹. 1155-55-1320-75-1545-85-1630-90-1720-95-1815-100-2015-115-2130-130-2390-155-2545-175-3245 के वेतनमान में अंतिम आदेश पारित होने की तिथि से छः माह के लिये उनका

वर्तमान वेतन एक प्रमुख घटा दिया जायेगा किन्तु इसके फलस्वरूप उन्हें मिलने-  
वाली भविष्य की वेतनवृद्धियाँ प्रभावित नहीं होंगी ।

7. मैं निदेश देता हूँ कि मेरे जीव निष्कर्षों की एक प्रति जर्जि अधिकारी की  
रिपोर्ट की एक प्रति के साथ श्री टेवेंटर प्रसाद तिवारी, सामान्य संवर्ग श्रेणी II  
की तामील की जाये और उन्हें एक सामान्य नोटिस जारी करा जाये कि वे  
कारण बतायें कि प्रस्तावित टर्म्स क्यों नहीं उन पर लगाया जाये ।

। एत. एम. तर्का हुसनी ।

प्रबन्धक

। प्रमुख प्राधिकारी ।

भारतीय रिज़र्व बैंक

पटना-800001.

दिनांक: 6 अगस्त 1993



पटना  
26.4.93

सेवा में,

सहायक प्राधिकारी

( प्रबंधक )

भारतीय रिजर्व बैंक

पटना,

द्वारा कौषपाल, भारतीय रिजर्व बैंक, पटना

प्रिय महोदय,

विषय : कारण बनाओ नोटिस - पत्रांक MGR/46 4155/  
02.01.03 - 92/93 दिनांक 12 अप्रैल '93-अभ्या.  
पटन

उपर्युक्त विषय के संबंध में निवेदन करना है कि दिनांक 18.2.91 को जब मैं नकदी परिषदा अनुभाग में कार्यरत था तो मुझे पाँच रुपये के नोट जाँच के लिए दिए गए थे। दिनांक 2.4.91 को सत्यापन अनुभाग में यह पाया गया कि मेरे द्वारा जाँच किए गए पाँच रुपये के नोटों में तीन नोट अधिक थे। इस आधार पर MGR-3757/22(2)-91-92 दिनांक 11.2.92 के द्वारा मुझ पर यह आरोप लगाया गया कि मैंने अपने कार्य के दौरान लापरवाही वरती है तथा अपने इस कार्य के द्वारा बैंक के हित को हानि पहुंचायी है।

इस सम्बन्ध में घरेलू जाँच की कार्यवाही सम्पन्न हुई जिसमें मेरी ओर से जाँच अधिकारी के समक्ष सम्बन्ध पाँच रुपये का पॉकेट कई अन्य अभिलेखों एवं साक्ष्यों तथा एक शपथ की भी प्रस्तुत किया गया जिसके द्वारा यह स्पष्ट हुआ कि मुझ पर लगाए गए आरोप आधारहीन थे।

निर्गम विभाग मैन्युअल में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप ही मैंने नोटों की जाँच की थी तथा किसी प्रकार की कोई लापरवाही मेरे द्वारा जान-बूझकर नहीं की गई थी तथा न ही मेरा उद्देश्य बैंक के हित को किसी भी प्रकार से हानि पहुंचाने की थी। चूंकि उस दिन परिषदा अनुभाग में जाँच के लिए दिए

जए नोटों की स्थिति खराब थी। नोट गंदे एवं चिपकनेवाले थे-  
जिसके कारण सापधानी बरतने के बावजूद भी एक पॉकेट में तीन  
नोट अधिक रह गए। मैंने जान-बूझकर न तो कोई लापरवाही  
बरती तथा न ही बैंक के हित को किसी भी प्रकार से हानि  
पहुँचाई।

बैंक में नियुक्ति की अवधि से लेकर आज तक मैं अत्यन्त  
ही निष्ठा एवं ईमानदारी से अपना कार्य निपटता रहा हूँ। भट  
पहली घटना है जब कि मुझपर आरोप पत्र निर्गत हुआ है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में  
आपसे विनम्र निवेदन है कि मैंने इस अभ्यावदन पर सहानुभूति-  
पूर्वक विचार करते हुए जो दंड प्रस्तावित किया गया है, उसे  
निरस्त कर दिया जाए। एतदर्थ सर्वेव आभारी रहूँगा।

भवदीय

देवेन्द्र प्रणिवारी-

( देवेन्द्र प्र. तिवारी )

सामान्य संवर्ग, धुली-  
नकदी विभाग, डी'